D:\ADN\D.O.C. 2013.docx- 337 -

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ 85030-63 जयपुर, दिनांकः– 10/9/15

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– पूरक पोषाहार के वितरण के संबंध में।
प्रसंगः–समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक 137771–803 दिनांक 11.10.2013, 31247–79 दिनांक 07.04.2014, 35408–757 दिनांक 11.04.2014, 54053–85 दिनांक 17.06.2015 एवं 71221–557 दिनांक 31.07.2015

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर पोषाहार वितरण (Take Home Ration) का रजिस्टर बनाया जाकर पोषाहार वितरण का लेखा–जोखा निर्धारित प्रारूप में संधारित करने, सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर लाभान्वितों को टेक हॉम राशन का वितरण गुरूवार को ही करने एवं ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर के अधिकारियों को यथा सम्भव अपने दौरे में मंगलवार एवं बुधवार को शामिल करने के निर्देश जारी किये गये है, ताकि गुरूवार को वितरण से पूर्व पोषाहार की जांच की जा सकें। साथ ही उक्तानुसार की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उक्त निर्देशों की निरन्तरता मे निर्देशित किया जाता है कि गुरूवार के दिन पोषाहार का वितरण यथा सम्भव जनप्रतिनिधियों (पंच/सरपंच/पार्षद आदि) की उपस्थिति में किया जावें तथा उनके उपस्थित होने पर पोषाहार वितरण पंजिका पर उनके हस्ताक्षर कराये जावें।

10/9/2015
(एम.पी.स्वामी)
निदेशक

क्रमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)